भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई- पत्रिका

अक्टूबर 2021

14 अक्टूबर 2021 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ डॉ पीडी वाघेला, अध्यक्ष भादूविप्रा द्वारा हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार नेटवर्क कनेक्टिविटी / बुनियादी ढांचे की समीक्षा

नए दूरसंचार सुधार
(सूचना के लिए एक लेख)

केंद्रीय कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों में समायोजित सकल राजस्व (AGR), दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) पर सरकार को चार साल की मोहलत, और अन्य मामले की पुनर्परिभाषा शामिल हैं। ये दूरसंचार सुधार भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं के लिए नए युग की शुरुआत करते हैं। यह दूरसंचार कंपनियों को इक्विटी के माध्यम से भुगतान के आस्थगन के कारण उत्पन्न होने वाली ब्याज राशि का भुगतान करने का विकल्प भी प्रदान करता है। सुधारों ने उद्योग के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:

1. नई ई-केवाईसी प्रक्रिया:
   क) ओटीपी आधारित प्रक्रिया का उपयोग करके प्रीपेड से पोस्ट-पेड और इसके विपरीत में रूपांतरण।
   ख) नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने की वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में सेल्फ-केवाईसी (एस-केवाईसी)।
   ग) ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) सुधार
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार: स्वचालित मार्ग में 100% एफडीआई से नेटवर्क का विस्तार आसान होगा
3. बैंक गारंटी (बीजी) सुधार: बैंक गारंटियों और मूल्य की संख्या में कमी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान बनाते हैं।
4. स्पेक्ट्रम संबंधी सुधार - समर्थन पैकेज, भविष्य के स्पेक्ट्रम के बारे में निर्णय स्पेक्ट्रम के उपयोग में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अधिक निश्चितता को सक्षम करेगा।
5. एसएसीएफए (SACFA) निकासी सरलीकरण: टावरों को स्थापित करने के लिए एसएसीएफए निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण, डीओटी के सरल संचार पोर्टल पर स्व-घोषणा/स्वचालित समयबद्ध अनुमोदन, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क के तेजी से रोलआउट को सक्षम करेगा।
6. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की चलनिधि आवश्यकताओं को संबोधित करना: चलनिधि और नकदी प्रवाह को आसान बनाना और विभिन्न बैंकों को दूरसंचार क्षेत्र में पर्याप्त जोखिम रखने में मदद करना। यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संचालन में अधिक पैसा खर्च करने में सक्षम बनाता है।
7. समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) सुधार: एजीआर को फिर से परिभाषित करने से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं गैर-दूरसंचार राजस्व पर लाइसेंस शुल्क पर बोझ के बिना अधिक नवीन उत्पादों और सेवाओं को लाने में सक्षम होंगे।

विस्तृत जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

https://dot.gov.in/sites/default/files/Telecom%20Reforms%202021-booklet%20combined%20as%20on%2003112021_0.pdf

1. दिशा-निर्देश

1.1 भादूविप्रा ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को टैरिफ प्रस्तावों के संबंध में भादूविप्रा के विनियमों/निर्देशों/सलाहकारों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश जारी किया

प्राधिकरण को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एमएनपी-विशिष्ट टैरिफ की पेशकश के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं।

दूरसंचार टैरिफ आदेश के अनुसार कोई भी सेवा प्रदाता किसी भी तरह से एक ही वर्ग के सब्सक्राइबरों के बीच भेदभाव नहीं करेगा और सब्सक्राइबरों का ऐसा वर्गीकरण मनमाना नहीं होगा और सब्सक्राइबरों के बीच प्रत्येक वर्गीकरण सुगम मानदंडों पर आधारित होगा जहां ऐसे मानदंड का उक्त वर्गीकरण के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होगा।

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, और ग्राहकों को पारदर्शिता, एकरूपता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने 02.09.2021 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि: -

i) केवल भादूविप्रा को सूचित किए गए टैरिफ ही उनके चैनल पार्टनर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स/रिटेलर्स/थर्ड-पार्टी ऐप्स/आदि के माध्यम से पेश किए जाते हैं। तथा;

ii) सभी टैरिफ ऑफ़र मौजूदा भादूविप्रा विनियमों/निर्देशों/आदेशों/आदि का अनुपालन करते हैं, जहां दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नाम/ब्रांड का उपयोग उत्पादों और सेवाओं के विपणन/प्रस्तुति/बिक्री के लिए किया जाता है, भादूविप्रा के नियामक दिशानिर्देशों/प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास रहेगी।

दिशा- निर्देशों का पूरा पाठ नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किया जा सकता है

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_02092021.pdf

2. आदेश

2.1 भादूविप्रा ने कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (CAS) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम्स (SMS) के लिए परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी के रूप में भारत सरकार के दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (TEC), दूरसंचार विभाग के पदनाम के संबंध में दिनांक 20.09.2021 को एक आदेश जारी किया।

टीईसी निम्नलिखित करेगा:: -

(ए) इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची IX में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (CAS) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) के परीक्षण और प्रमाणन का समग्र प्रशासन, समन्वय और निष्पादन करना;

(बी) अनुसूची IX के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में परीक्षण अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं (TSTP) को अधिसूचित करना और बनाए रखना;

(सी) परिभाषित परीक्षण अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं (TSTP) के अनुसार परीक्षण करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने वाली मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची को सूचीबद्ध/घोषित करना;

(डी) मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण और प्रमाणित सभी उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रदान करना, और;

(इ) भारत में परिनियोजित कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (CAS) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) के संस्करण और परिनियोजन विवरण को बनाए रखना।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Order_CAS_SMS_20092021.pdf

3. महत्वपूर्ण घटनाएँ

श्री वी. रघुनंदन, सचिव, भादूविप्रा, डॉ. एल्साडिग गामलेदिन, महानिदेशक, दूरसंचार और डाक विनियामक प्राधिकरण (टीपीआरए) और श्री शकील अहमद, काउंसलर, भारतीय दूतावास, सूडान ने 20 सितम्बर 2021 को ट्राई द्वारा आयोजित पांच दिवसीय ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया।

4. दूरसंचार सब्सक्रिप्शन

4.1 <u>31 अगस्त 2021 तक दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा।</u>

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन में)	650.39	20.91	671.31
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन में)	536.33	1.95	538.28
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन में)	**1186.72**	**22.86**	**1209.58**
कुल दूरसंचार -घनत्व (%)	86.78	1.67	88.45
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	54.81	91.49	55.50
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	45.19	8.51	44.50
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या (मिलियन में)	789.18	24.29	813.47

अगस्त 2021 में उच्चत वीएलआर की तारीख में एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर 991.71 मिलियन थे।

अगस्त 2021 में एमएनपी के लिए 11.28 मिलियन सब्सक्राइबर अनुरोध किए गए थे। अगस्त 2021 के अंत तक, कुल 628.15 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया है।

4.2 <u>15 सितम्बर 2021 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों का पैनल (अद्यतित सूची)</u>

भादूविप्रा समय-समय पर डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम को चलाने के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल की अद्यतित सूची जारी करता है। इस संदर्भ में, भादूविप्रा ने 15 सितम्बर 2021 को लेखा परीक्षकों के पैनल के लिए अद्यतित सूची जारी की है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Audit_list_15092021.pdf

5. घटनाएँ

5.1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सितम्बर 2021 के दौरान निम्नलिखित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र.सं.	स्थान	दिनांक
1	गोवा	3 सितम्बर 2021
2	महाराष्ट्र	8 सितम्बर 2021
3	अगरतला, त्रिपुरा	14 सितम्बर 2021
4	उड़ीसा	15 सितम्बर 2021
5	केरल	23 सितम्बर 2021
6	गंगटोक, सिक्किम	28 सितम्बर 2021
7	पंजाब	29 सितम्बर 2021
8	उत्तर प्रदेश	30 सितम्बर 2021

चित्र प्रदर्शनी

14 सितम्बर 2021 को अगरतला, त्रिपुरा के लिए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

15 सितम्बर 2021 को उड़ीसा के लिए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

28 सितम्बर 2021 को गंगटोक, सिक्किम के लिए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

29 सितम्बर 2021 को पंजाब के लिए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

30 सितम्बर 2021 को उत्तर प्रदेश के लिए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

इस पत्रिका में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सदस्यता डेटा आदि का पूरा विवरण ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

www.trai.gov.in

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली- 110002

हम फेसबुक पर भी हैं! हमसे जुड़ें

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! फॉलो करें

TRAI@TRAI